



**MP Forest
Department**

कार्यालय सामान्य, वन मंडल छतरपुर म. प्र.

जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 ☎07682-245316 (O.), 245316 (Fax)

E-mail: dfotchtpr@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2020 / 6368
प्रति,

छतरपुर, दिनांक 8-1-2020

कार्य पालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग छतरपुर

विषय :- जिला छतरपुर के अंतर्गत तेंदुआ नाला बांध योजना के निर्माण हेतु 45.278 हे० वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत।

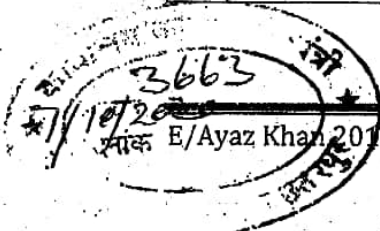
- संदर्भ :-
1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-20/2019-एफ.सी. दिनांक 11.03.2020
 2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ-3/54/2018/10-11/5/1025 भोपाल दिनांक 12.03.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक 02 द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) भोपाल ने प्रकरण में भारत शासन के संदर्भित पत्र क्रमांक 01 जिसके द्वारा निर्धारित शर्तों अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है, प्रकरण में स्वीकृति अनुसार रोपित शर्तों का पालन प्रतिवेदन सम्प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

भारत शासन द्वारा रोपित शर्त क्रमांक II, IX के अनुसार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि, शर्त क्रमांक XIII के अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू एवं शर्त क्रमांक XV के अनुसार आवेदित क्षेत्र में खड़े वृक्षों के विदोहन हेतु आंकलित राशि आवेदक संस्थान से प्राप्त की जानी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	रोपित शर्त का विवरण	रकवा हे० में	राशि (रुपये)	रिमार्क
1.	क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण (a) मृदा संरक्षण कार्य (गैर वनभूमि) (b) बिगड़े वन क्षेत्र पर	45.278 90.556 कुल योग-	5613300.00 12320000.00 17933300.00	मुख्य वन संरक्षक छतरपुर के आदेश क्रमांक/मा.चि./व्यय/358 दिनांक 24.08.2018 से प्रदाय तकनीकी स्वीकृति अनुसार
2.	नेट प्रजेन्ट वैल्यू	45.278	28344030.00	म. प्र. शासन वन विभाग आदेश क्र. /एफ-5/16/2000/10-3 दिनांक 12.09.2008 के अनुसार ईको क्लास III खुले वन व रिक्त क्षेत्र हेतु निर्धारित रुपये 626000/- हे० की दर से आंकलन अनुसार
3.	आवेदित क्षेत्र में खड़े वृक्षों का विदोहन	45.278	223360.00	वन परिक्षेत्राधिकारी छतरपुर के पत्र क्रमांक/मानचित्र/1848 दिनांक 20.08.2020 से प्राप्त गणना पत्रक अनुसार

(क्रमशः 02)



क्रमांक E/Ayaz Khan 2019/Latter 02

(2)

बिन्दु क्रमांक 01 के अनुसार क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि रुपये 17933300/- (एक करोड़ उन्यासी लाख तैतीस हजार तीन सौ मात्र), 02 अनुसार नेट प्रजेन्ट वैल्यू राशि रुपये 28344030/- (दो करोड़ तैरासी लाख चवालीस हजार तीस मात्र) का भुगतान भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को ई-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बिन्दु क्रमांक 03 अनुसार खड़े वृक्षों की विदोहन राशि रुपये 223360/- (दो लाख तैईस हजार तीन सौ साठ मात्र) का भुगतान म० प्र० कोषालय की website : www.mptreasury.org से किया जाना है।

भारत सरकार द्वारा प्रदाय सैद्धांतिक अनुमति की छायाप्रति संलग्न भेजी जा रही है। स्वीकृति में रोपित शर्तों के संबंध में पालन प्रतिवेदन 04 प्रतियों में आवश्यक सह अभिलेखों सहित तत्काल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में वांछित पालन प्रतिवेदन वरिष्ठ को सम्प्रेषित किया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(संजीव झा)

वन मण्डलाधिकारी

सा. वनमण्डल छतरपुर

छतरपुर, दिनांक.....

पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./2020/

प्रतिलिपि :- 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2. मुख्य वन संरक्षक, छतरपुर वृत्त छतरपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डलाधिकारी

सा. वनमण्डल छतरपुर

पृष्ठ क्र० 22524 कार्य/छतरपुर/ दिनांक 12.10.2020

प्रतिलिपि :- 0 अनु० अधिक, जल संसाधन उप संभाग छतरपुर

की ओर सूचनार्थ/पत्र में दिए गए निर्देशानुसार

आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
③ व. व. लि. ज. सं. संभाग छतरपुर को ज्ञात सूचनार्थ
सं० :- 0 कल आवश्यक कार्यवाही के लिए

कार्यालय पत्तन यंत्री

जल संसाधन संभाग छतरपुर
जिला-छतरपुर (म.प्र.)